रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1973/श्रावण 18, 1895
No. 195] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1973/SRAVANA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 1973

G.S.R. 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government, in addition to the quantity already fixed for export, hereby fixes 94,000 tonnes (ninetyfour thousand tonnes) of sugar as the quantity which may be exported during the the period commencing on the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending with the 30th day of June, 1974.

[No. 10-7/73-S-EXP/II.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 388(अ) शर्करा निर्यात.—शर्करा निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पहले नियत की गई निर्यात मात्रा के अतिरिक्त, 94,000 मीटरी टन (चौरानवे हजार मीटरी टन) शर्करा को उस मात्रा के रूप में नियत करती है जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को आरम्भ होने वाली और 30-6-1974 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान निर्यात की जा सकेगी।

[सं० 10-1/73-एस०-ई० एक्स० पी०/II]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973